

प्रकरण क्रमांक दिनांक 7/11/16 को पेश किया।

रु कं शुक्ला  
स्थायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
फतेह जिला सिविल कोर्ट

07/11/16

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला।

अभियुक्त जगन्नाथ सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला।

अनुपस्थित अभियुक्त रामलखन का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार  
स्वीकार।

अभियुक्त निरंजन प्रसाद आदेश पत्रिका दिनांक 11.03.11 के अनुसार मृत  
घोषित।

अभियुक्त रनसिंह, सुक्ता एवं महेन्द्रसिंह अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

Description Sheet No.

Witness No.

C.J.(E)  
II-158

परिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्तगण के उपस्थित न हो  
पाने से विचारण विलंबित हो रहा है। परिवादी 80 वर्षीय महिला है। ऐसे में अनुपस्थित  
अभियुक्तगण का विचारण प्रथक कर प्रकरण में आदेश करने का निवेदन किया है।

25/11/16  
जागरूक  
[Signature]



of or ing	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण को कई बार आदेशिकाएं जारी होने पर भी उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है। दफ़्तर में वर्ष 2008 में हुए संशोधन के प्रकाश में प्रस्तुत मामला अनन्यतः मान0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं जिसमें विचारण प्रभावित हो रहा है।</p> <p>ऐसे में अभियुक्त रनसिंह पुत्र ज्वालासिंह सिकरवार, सुक्ता उर्फ साफ़ता पत्नी मुकेशसिंह एवं महेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह का विचारण दफ़्तर की धारा 299 एवं 317-2 के अधीन प्रथक किया जाता है। उन्हें स्थाई गिरफ्तारी वारंट विधिवत जारी किए जावें जिस पर अन्य अभियुक्तगण के लिए प्रकरण लंबित होने की तिथि व सी0आई0एस0 नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे।</p> <p>उभयपक्षों द्वारा उपापण तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया।</p> <p>उपापण तर्क सुने गए।</p> <p>प्रस्तुत परिवाद के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु अभियुक्त रनसिंह द्वारा परिवादी राममूर्ति के स्थान पर सुक्ता उर्फ साफ़ता को प्रस्तुत कर जगन्नाथ एवं महेन्द्रसिंह के द्वारा पहचान कराकर निरंजन प्रसाद श्रोतिय तथा शाखा प्रबंधक रामलखन शर्मा द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त किए जाने के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 34 भादवि0 के अधीन संज्ञान लिया गया। उक्त प्रकरण में अभी कोई भी सारवान कार्यवाही नहीं हुई है ऐसे में दफ़्तर संशोधन 2008 के प्रकाश में मामला अनन्यतः मान0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपापण योग्य है।</p> <p>अतः प्रकरण मान0 सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर उपार्पित किया जाता है।</p> <p>उपापण की सूचना लोक अभियोजक को भेजी जावे।</p> <p>अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया कि आगामी दिनांक को मान0 अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में उप0 रहें।</p> <p>प्रवर्तन लिपिक प्रकरण व्यवस्थित कर आगामी दिनांक से पूर्व मान0 सत्र न्यायालय भिण्ड भेजने की व्यवस्था करें।</p> <p>प्रकरण मान0 अपर सत्र न्यायालय गोहद में अभियुक्तगण की उप0 हेतु दिनांक 25.11.16 को पेश हो।</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i> 7-11-16</p> <p><i>(Handwritten signature)</i> 7-11-16</p> <p><i>(Handwritten signature)</i> 7-11-16</p>
		<p><i>(Handwritten signature)</i> 7-11-16</p>

*(Handwritten signature)*  
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला भिण्ड 5050